न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–II, वैशाली, हाजीपुर।
सत्र वाद सं0– 98/2016
CNR No-BRVA01-0001792016

उपस्थित : श्री रत्नेश कुमार सिंह
अपर सत्र न्यायाधीश–II,
वैशाली, हाजीपुर।

हाजीपुर, दिनांक– **16 मार्च 2026**

राजापाकर (बारांटी ओ0पी0) थाना कांड सं0– 40/2013, अन्तर्गत धारा– 147, 148, 149, 323, 447, 308, 354, 379, 504, 509 भा0दं0वि0 से उत्पन्न)

Web copy not official

राज्य (द्वारा – राकेश कुमार – सूचक) —————— अभियोजन

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता :–श्री रामनाथ महतो,
विद्वान अपर लोक अभियोजक

बनाम

1. सोनु कुमार, पिता सत्यनारायण राय, उम्र लगभग 33 वर्ष,
2. विकास कुमार, पिता सत्यनारायण राय, उम्र लगभग 35 वर्ष,
3. मुकेश कुमार, पिता सत्यनारायण राय, उम्र लगभग 38 वर्ष,
4. धर्मशीला देवी, पति सत्यनारायण राय, उम्र लगभग 56 वर्ष,
5. संजीत कुमार, पिता स्व0 लालबाबू राय, उम्र लगभग 32 वर्ष,
6. रंजीत कुमार, पिता स्व0 लालबाबू राय, उम्र लगभग 41 वर्ष,

सभी ग्राम– बहुआरा, थाना– राजापाकर (बारांटी ओ.पी.),
जिला–वैशाली ———————— अभियुक्तगण।

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री अभिनय कौशल एवं मो. गुलाम उजाले।

घटना की तिथि	25.03.2013
प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि	26.03.2013
आरोप पत्र समर्पित करने की तिथि	22.04.2014
आरोप गठन की तिथि	29.04.2016
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	20.03.2024
निर्णय पर नियत करने की तिथि	13.03.2026
निर्णय की तिथि	16.03.2026
सजा की तिथि, यदि कोई	––

अभियुक्त का रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण की तारीख	जमानत पर मुक्त करने की तिथि	आरोप अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	सुनायी गयी सजा	विचारण के दौरान कारा में वितायी गयी अवधि धारा–428 दं0प्र0सं0
01	सोनु कुमार	25.05.2013	25.05.2013	अन्तर्गत धारा– 308/149, 323/149, 447/149 एवं	दोषमुक्त		शुन्य

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–II, वैशाली, हाजीपुर।
सत्र वाद सं0– 98/2016
CNR No-BRVA01-0001792016

				504/149 भा0दं0वि0			
02	विकाश कुमार	25.05.2013	25.05.2013	अन्तर्गत धारा–308/149, 323/149, 447/149 एवं 504/149 भा0दं0वि0	दोषमुक्त		शुन्य
03	मुकेश कुमार	15.04.2014	17.06.2014	अन्तर्गत धारा–308/149, 323/149, 447/149 एवं 504/149 भा0दं0वि0	दोषमुक्त		02 माह एवं 02 दिन
04	धर्मशीला देवी	25.05.2013	25.05.2013	अन्तर्गत धारा–308/149, 323/149, 447/149 एवं 504/149 भा0दं0वि0	दोषमुक्त		शुन्य
05	संजीत कुमार	25.05.2013	25.05.2013	अन्तर्गत धारा–308/149, 323/149, 447/149 एवं 504/149 भा0दं0वि0	दोषमुक्त		शुन्य
06	रंजीत कुमार	25.05.2013	25.05.2013	अन्तर्गत धारा–308/149, 323/149, 447/149 एवं 504/149 भा0दं0वि0	दोषमुक्त		शुन्य

Web Copy not Official

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विषेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)**
पी0डब्लु–01	राकेश कुमार राय	सूचक
पी0डब्लु–02	राज कुमार सिंह उर्फ राज कुमार रौशन	अन्य साक्षी
पी0डब्लु–03	रवि सुन्दरम्	अन्य साक्षी
पी0डब्लु–04	चन्देश्वर प्रसाद सिंह	अन्य साक्षी
पी0डब्लु–05	डॉ0 सीमा सिन्हा	चिकित्सक

ख–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विषेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)**
NIL	NIL	NIL

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–II, वैशाली, हाजीपुर।
सत्र वाद सं0– 98/2016
CNR No-BRVA01-0001792016

ग–न्यायालय साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विषेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
NIL	NIL	NIL

Web Copy not Official

अभियोजन/बचाव पक्ष/ न्यायालय प्रदर्ष की सूची

क–अभियोजन

क्रमांक	प्रदर्ष संख्या	विवरण
01	प्रदर्श–01	लिखित आवेदन
02	प्रदर्श–02	जख्म प्रतिवेदन

ख–बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्ष संख्या	विवरण
NIL	NIL	NIL

ग–न्यायालय प्रदर्ष

क्रमांक	प्रदर्ष संख्या	विवरण
NIL	NIL	NIL

घ–वस्तु प्रदर्ष

क्रमांक	प्रदर्ष संख्या	विवरण
NIL	NIL	NIL

नि र्ण य

1. उपर्युक्त अभियुक्तगण धारा– 308/149, 323/149, 447/149 और 504/149 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों से आरोपित है और विचारण का सामना कर रहे है।

2. अभियोजन कहानी का सारांश सूचक राकेश कुमार के लिखित आवेदन के अनुसार, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ लड़कियाँ कॉलेज जा रही थी, उसमें उपद्रव मचाया

जा रहा था, जिसमें सोनु कुमार का इस बात के लिए जब ये छेड़खानी का विरोध किया तो जाकर अपने घर मां–भाई से मिलकर इनके दरवाजे पर लगभग 09.5 बजे रात को दिनांक 25.03.2013 को इनके घर पर चढ़कर गाली–गलौज करने लगा। इस पर इनकी मां घर से निकली तो इसका सोने का चेन लगभग 2 भर का, जिसका कीमत लगभग रू. 60,000/– धर्मशीला देवी द्वारा छीन लिया गया। इस पर इनकी मां विरोध की और चिल्लाई तो दोनों भाई घर से बाहर निकले। अचानक लोहे के रॉड से जान मारने की नियत से मुकेश कुमार द्वारा माथे पर वार किया, जिससे मुर्छित होकर नीचे गिर गया। इसके बाद लाठी डंडे से रंजीत कुमार, संजित कुमार, विकाश कुमार एवं सोनु कुमार द्वारा इनके बड़े भाई मुन्ना सिंह उर्फ राजवंशी राय को मकई की बाल की तरह मार लाठी–डंडा से बिछा दिया गया। इस पर इनके दूकान पर से आने के क्रम में चन्देश्वर प्रसाद सिंह द्वारा बचाया गया और सभी को डांट–फंटकार कर लोकल डॉक्टर से फस्टएड करवाया गया।

3. सूचक के उक्त लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी राजापाकर (बारांटी ओ.पी) थाना कांड सं0– 40/2013 अन्तर्गत धारा– 147, 148, 149, 323, 447, 308, 354, 379, 504 एवं 509 भा0दं0वि0 दर्ज किया गया तथा अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में घटना को सत्य पाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 148, 149, 447, 323, 325, 308, 354 एवं 504 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0– 47/2014 दिनांक– 22.04.2014 को समर्पित किया गया।

4. आरोप पत्र प्राप्त होने पर विद्वान न्या0दण्डा0, वैशाली, हाजीपुर द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक–09.05.2014 को अपराध का संज्ञान लिया गया तथा दौड़ा सुपुर्दगी हेतु अभिलेख श्री प्रभात कृष्णा, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी– XIth के न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी– XIth के द्वारा वाद सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण दिनांक– 26.02.2016 के आदेश द्वारा विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को दौरा सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात् अभिलेख दिनांक–31.10.2023 को इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

5. दिनांक–29.04.2016 को उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 308/149, 323/149, 447/149 एवं 504/149 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत आरोप गठित करके आरोप हिन्दी में सुनाया गया है, जिसे सुनकर अभियुक्तों ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण का दावा किया है। आरोप का गठन होने के पश्चात् अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य ग्रहण किया गया एवं साक्ष्य प्रकरण समाप्त होने के पश्चात् दिनांक–12.03.2026 को अभियुक्तों का बयान धारा–313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत लिया गया जिसमें अभियुक्तगण का बचाव है कि उनको इस मोकदमा में झूठा फंसाया गया है तथा वे सर्वथा निर्दोष हैं।

6. अब इस वाद में मुख्य विनिश्चयन का प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोपों को सभी युक्ति युक्त संदेहो की छाया से परे साबित

करने में सफल रहे हैं?

<u>म न्त व्य</u>

7. विचारण के क्रम में अभियोजन की ओर से कुल 05 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जिनमें अभियोजन साक्षी सं0–1 राकेश कुमार राय, (सूचक) अभियोजन साक्षी सं0–2 राज कुमार सिंह उर्फ राज कुमार रौशन, अभियोजन साक्षी सं0–3 रवि सुन्दरम्, अभियोजन साक्षी सं0–04 चन्देश्वर प्रसाद सिंह एवं अभियोजन साक्षी सं0– 05 डॉक्टर सीमा सिन्हा है।

अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में लिखित आवेदन को प्रदर्श–1 और जख्म प्रतिवेदन को प्रदर्श–2 अंकित किया गया।

8. बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. विचारण के क्रम में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत कुल–05 साक्षियों में से अभियोजन साक्षी सं0–1 राकेश कुमार राय (सूचक) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना लगभग 8–9 साल पहले का है। बच्ची लोग कॉलेज पढ़ने जा रही थी तो सोनु कुमार, रंजीत कुमार, संजीत कुमार और मुकेश कुमार ये लोग मिलकर छेड़खानी करते थे तो ये विरोध किए तो सब लोग मिलकर राकेश कुमार और राजवंशी राय के साथ मारपीट किया। पहले मां घर से निकली थी। उसके गले में सोने का चेन था उसको छीन लिया और मारपीट भी किया। इनके साथ भी मारपीट हुआ था। सब लोगों का इलाज लोकल अस्पताल में हुआ। तब जाकर यह केस इन्होंने किया। बाराटी ओपी थाना में जाकर आवेदन लिखकर उसपर हस्ताक्षर बनाकर मुकदमा किया, जो इनके लिखावट एवं हस्ताक्षर में है। इसे प्रदर्श–1 अंकित किया जाता है। आगे कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित मुदालह सोनु कुमार, विकास कुमार और धर्मशीला देवी को पहचानता है।

प्रति परीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि मुदालह लोग इनके परिवार के है, रिश्ते मे पुतोह और पोता है। 9 बजे रात में कोई भी लड़की कॉलेज नहीं जा रही थी। घटना के समय ये और इनका भाई राजवंशी घर में थे। हल्ला पर दोनों भाई घर से बाहर निकले। घटना के बारे में इन्हें मां बतायी थी। इनके साथ जो जख्म हुआ था काफी रात होने की वजह से किसने किया, नहीं देखे थे। सोने का चेन छीन लिया था, उससे संबंधित कोई कागज पतर नहीं है। इन्हें चोट कैसे लगी थी, ये नहीं बता सकता है। इनके घर में या इनके जमीन पर कोई घ टना नहीं हुआ था। कंडिका–12 में कथन किया है कि यह मुकदमा इनलोगों ने सुलह कर लिया है। सुलह हो जाने के कारण अन्य गवाही नहीं देना चाहता है। सुलह के आधार पर केस को समाप्त कर दिया जाए तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

10. अभियोजन साक्षी सं0–02 राजकुमार सिंह उर्फ राज कुमार रौशन, अभियोजन साक्षी

सं0–03 रवि सुन्दरम् एवं अभियोजन साक्षी सं0– 04 चन्देश्वर प्रसाद सिंह ने अपने अपने मुख्य परीक्षण में घटना की जानकारी होने से इन्कार किया है तथा कहा है कि पुलिस के समक्ष अभियोजन साक्षी सं0–02 एवं 03 का बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के अनुरोध पर इन साक्षियों को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया और न्यायालय की अनुमति से अभियोजन द्वारा प्रति परीक्षण किया गया। अभियोजन द्वारा किये गये प्रति परीक्षण में ऐसा कोई सारगर्भित तथ्य नहीं आया है जिससे अभियोजन केस को बल मिल सके एवं अभियोजन साक्षी सं0–04 ने अपने अभियोजन प्रतिपरीक्षण के कंडिका–3 में कहा है कि मैं मुदालह को नहीं पहचानता हूँ। अभियुक्त की ओर से किये गये प्रति परीक्षण में इन साक्षियों ने कहा है कि मुदालह इनके ग्रामीण हैं इसलिए जानते–पहचानते हैं। वारंट मिलने पर आज गवाही देने आया हूँ।

11. अभियोजन साक्षी सं0–05 डॉ0 सीमा सिन्हा अपने मुख्यपरीक्षण में कथन करती हैं कि

1. I have examined Mr. Rakesh Kumar, son of Pradeep Rai, age 28 years, R/o- Bahuara. On 26th March 2013 at about 12.45 PM and found following injuries.

2. Stitched wound of 1 and half inch on left parietal region of skull.

3. Sweeling and bruise on right lower half forearm.

4. Sweeling one half inch on left upper half of thigh.

5. Injury no. 1 and 3 is simple in nature caused by hard blunt object.

6. Injury no. 2 opinion reserved X-ray advices Sadar Hospital, Hajipur.

7. M/I – Old Scar mark on left side of forehead. Time since injury 15 hours.

8. The injury report is prepared by me and it bears my signature. It is mark as Ext. No.- 02

9. The injury of Rakesh Kumar has alleged might have been happened due to fallen on the ground.

10. I have mentioned in my report that the injuries has been sustained due to hard blunt object but I have not specify the weapons or the objects.

11. It is wrong to suggest that my injury report is wrong and collusive.

12. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सूचक ने अपने फर्दबयान का पूर्ण रूपेण समर्थन किया है एवं उनके कथन का मौखिक साक्षियों के साक्ष्य से समर्थन होता है साथ ही अभियोजन की ओर से प्रस्तुत कागजात और जख्म प्रतिवेदन जो कि अभियुक्तगण के दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्तगण

को आरोपित धाराओं में दोषसिद्ध किया जाय।

13. दूसरी तरफ बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता अपने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उन्हें साजिश के तहत मनगढंत तथ्यों को आधार बनाकर इस केस में अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्तगण निर्दोष हैं। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों में साक्षी सं0– 2, 3 एवं 4 को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है न ही किसी प्रकार का जख्म जख्मी को हुआ है। बिना वजह अभियुक्त को इस केस में घसीटा गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने सूचक के लिखित कथन का समर्थन नहीं किया है। यहॉ तक कि सूचक स्वयं ने अभियोजन कहानी का समर्थन अपने प्रति परीक्षण में नहीं किया है तथा सही तथ्य को जानकर मुकदमा को इनलोगों ने सुलह कर लिया है और सुलह के आधार पर केस को समाप्त कर दिया जाए तो सूचक को कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से ही स्पष्ट है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं। अभियोजन की ओर से अनुसंधानक का परीक्षण नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसा कोई सारभूत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अभियोजन केस के साबित होने में बल मिल सके। उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अभियोजन अपने केस को सभी युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहे है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाय।

14. विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुनने एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के समीक्षा से विदित है कि अभियोजन की ओर से कुल–05 मौखिक साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जिनमें अभियोजन साक्षी सं0–02 राजकुमार सिंह उर्फ राजकुमार रौशन, अभियोजन साक्षी सं0–03 रवि सुन्दरम् एवं साक्षी सं0–04 चन्देश्वर प्रसाद सिंह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। सूचक के लिखित आवेदन के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि बच्ची लोग कॉलेज पढ़ने जा रही थी तो सोनु कुमार ये लोग मिलकर छेड़खानी करते थे तो ये विरोध किए तो सब लोग मिलकर राकेश कुमार और अन्य के साथ मारपीट किया।

प्रति परीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि मुदालह लोग इनके परिवार के है, रिश्ते में पुतोह और पोता है। 9 बजे रात में कोई भी लड़की कॉलेज नहीं जा रही थी। घटना के समय ये और इनका भाई राजवंशी घर में थे। हल्ला पर दोनों भाई घर से बाहर निकले। घटना के बारे में इन्हें मां बतायी थी। इनके साथ जो जख्म हुआ था काफी रात होने की वजह से किसने किया, नहीं देखे थे। सोने का चेन छीन लिया था, उससे संबंधित कोई कागज पत्र नहीं है। इन्हें चोट कैसे लगी थी, ये नहीं बता सकता है। इनके घर में या इनके जमीन पर कोई घटना नहीं हुआ था। कंडिका–12 में कथन किया है कि यह मुकदमा इनलोगों ने सुलह कर लिया है। सुलह हो जाने के कारण अन्य गवाही नहीं देना चाहता है। सुलह के आधार पर केस को समाप्त कर दिया जाए तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–II, वैशाली, हाजीपुर।
सत्र वाद सं0– 98/2016
CNR No-BRVA01-0001792016

15. अभियोजन की ओर इस वाद में अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य नहीं कराया गया है और अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य नहीं कराये जाने का कोई कारण भी नहीं बताया गया है कि किन परिस्थितियों में अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य नहीं कराया गया है। अनुसंधानकर्ता ही अनुसंधान के क्रम में अपने द्वारा एकत्रित साक्ष्य को समुचित ढंग से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था। अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य नहीं कराये जाने से अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाता है। स्वंय सूचक द्वारा प्रतिपरीक्षण में कहा गया है कि इनके साथ जो जख्म हुआ था काफी रात होने की वजह से किसने किया, नहीं देखे थे। इन्हें चोट कैसे लगी थी, ये नहीं बता सकता है, अतः चिकित्सक द्वारा दिया गया जख्म प्रतिवेदन भी अभियोजन वाद का समर्थन नहीं करता है।

16. उपरोक्त विवेचना के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों में किसी भी साक्षी के साक्ष्य में कोई उल्लेखनीय अथवा सारभूत साक्ष्य प्रकट नहीं हुआ है जिससे अभियोजन कहानी साबित होती हो। इस प्रकार अभियोजन आरोपित अपराध की धारा– 308/149, 323/149, 447/149 और 504/149 भा0 दं0 वि0 के आरोप को उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्व युक्ति युक्त संदेहो से परे साबित करने मे सफल नही रहा है। अतः

आदेश

17. मैं उपरोक्त अभियुक्तगण 1. सोनु कुमार, 2. विकास कुमार, 3. मुकेश कुमार, 4. धर्मशीला देवी, 5. संजीत कुमार एवं 6. रंजीत कुमार, को अतंर्गत धारा– 308/149, 323/149, 447/149 और 504/149 भा0दं0वि0 के आरोप का दोषी नहीं पाता हूॅ तथा साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए आरोपित अभियुक्तगण को दोषमुक्त करता हूॅ। अभियुक्तगण जमानत पर हैं अतः उन्हें तथा उनके जमानतदारों को बंध पत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

(निर्णय खुले न्यायालय मे पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।)
(कार्यालय निर्णय की एक प्रति जिला पदाधिकारी, वैशाली को भेजें)

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)	**लेखापित,**
ले0/–	ले0/–
(रत्नेश कुमार सिंह)	**(रत्नेश कुमार सिंह)**
अपर सत्र न्यायाधीश–II,	अपर सत्र न्यायाधीश–II,
वैशाली, हाजीपुर।	वैशाली, हाजीपुर।
16.03.2026	16.03.2026